



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 12/अ.  
7-02/2010-1421 दिनांक 06.06.13 के आलोक में प्रस्वीकृति  
की शर्त को पूरा करने के संबंध में आवश्यक सूचना**

**विज्ञप्ति संख्या - 57/2013**

एतद् द्वारा वैसे संबंधित इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है, जिन्हें सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 12/अ. 7-02/2010-1421 दिनांक 06.06.13 के आलोक में परिषद् पत्रांक JAC/9036/13 दिनांक 19.06.13 द्वारा स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन संकाय में सत्र 2012-14 में अध्ययनरत कक्षा-11 के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया गया है कि वे स्थायी प्रस्वीकृति की शर्त को छः माह के अन्दर पूरा कर प्रस्वीकृति प्राप्त कर लें। परन्तु शर्तों को पूरा किए जाने की सूचना अब तक परिषद् को नहीं दी गयी है।

इस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें पुनः सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्रस्वीकृति की शर्त को पूरा कर ससाक्ष्य प्रतिवेदन परिषद् को उपलब्ध करायें अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे प्रस्वीकृति की शर्त को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय आदेश के आलोक में उन महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति आदेश वापस लेने की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

( सुशील कुमार राय )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ. स्था./2392/13/SECY/468/13,  
Dt. - 13.09.2013  
D.O.P. - 14.09.2013